



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2182

दिनांक 01-9-23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

| क्र. सं. | भूखण्ड संख्या | नाम/पता                                       | समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा | योजना का नाम       | विवरण                              |
|----------|---------------|---|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1.       | 109           | श्री सन्दीप शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा   | रामराजपुरा गृ.नि. स.स.लि.          | गोविन्द विहार-ए    | फ्री होल्ड पट्टा हेतु              |
| 2.       | 347           | श्री हरिनारायण सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी | निजी खातेदारी                      | श्री योगेन्द्र नगर | लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु |

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14, अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380. Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी-

-सार्वजनिक सूचना:-

879

दिनांक- 1/9/23

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

| क्र. सं. | आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम  | भू.सं. | क्षेत्रफल (व.ग.) |
|----------|---|--------|------------------|
| 1        | श्री शिशुपाल चौपडा/रामचन्द्र चौपडा<br>(श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-श्री गिरिराज विहार) | 60     | 402.53           |
| 2        | रविन्द्र कुमार शर्मा/रूपचन्द्र शर्मा<br>(भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर की योजना-मां करणी नगर-ई)     | 37     | 444.44           |

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II

जविप्रा-जयपुर।  
पीआरएन-उत्तर-II)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II  
जविप्रा, जयपुर।

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी- 837

दिनांक:- 1/9/2023

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. सं. | आवेदक का नाम  | मूल आवंटी का नाम                                   | भूखण्ड संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.) | गृ.नि.स.स.                  | योजना का नाम   | सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज                                     |
|----------|---|--|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 1        | श्री प्रकाश चन्द गुप्ता पुत्र श्री बीरबल प्रसाद गुप्ता            | श्री बीरबल प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रूडमल गुप्ता   | 144           | 133.33                  | बुनियादी विकास              | गोपी नगर       | फी-होल्ड पट्टे हेतु             | जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर।       |
| 2        | श्री राजकुमार चौधरी पुत्र श्री उद्धाराम कटारिया                   | श्री उद्धाराम कटारिया पुत्र श्री हनुमान कटारिया    | ए-1           | 498.65                  | सुरजपोल गेट                 | हनुमान विहार-ए | फी-होल्ड पट्टे हेतु             | सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं अपजीकृत इकरारनामा के आधार पर। |
| 3        | श्री राजकुमार चौधरी एवं श्री बलवीर पुत्रान् श्री उद्धाराम कटारिया | श्रीमती भोरी देवी पत्नी श्री उद्धाराम कटारिया      | ए-2           | 500                     | सुरजपोल गेट                 | हनुमान विहार-ए | फी-होल्ड पट्टे हेतु             | सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं अपजीकृत इकरारनामा के आधार पर। |
| 4        | श्रीमती कल्याण कंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह खंगारोत                | श्रीमती कल्याण कंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह खंगारोत | 92            | 200                     | सिन्धु नगर                  | तीजा नगर       | फी-होल्ड पट्टे हेतु             | सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।                       |
| 5        | श्री सौभाग सिंह पुत्र श्री चैन सिंह                               | श्री सौभाग सिंह पुत्र श्री चैन सिंह                | 116           | 233                     | श्री जनता को-ऑपरेटिव सो.लि. | शिव विहार      | फी-होल्ड पट्टे हेतु             | सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।                       |

(1)  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के क्रम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

~~उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर  
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।~~



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2481

दिनांक 01/9/23

## सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 470/2 रकबा 0.3414 हैक्ट. कुल किता 1 कुल 0.3414 हैक्ट. के खातेदार श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामू, श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, श्री मदनलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, श्री राजेश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, श्री रामनारायण पुत्र श्री रामू, श्रीमती रामप्यारी पत्नि स्व. श्री लक्ष्मीनारायण एवं श्री लालाराम पुत्र श्री रामू निवासी-ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2480

दिनांक 01/9/23

## सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 438 रकबा 0.2150 हैक्ट. ख.नं. 470/1 रकबा 0.3541 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.5691 हैक्ट. के खातेदार श्री मंगलराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा एवं श्री हनुमानसहाय पुत्र रामप्रताप जाति मीणा सा.देह. द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)